न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 03/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00019**
दायर दिनांक :— 08.01.2020 **निर्णय दिनांक :— 23.10.2024**

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
01. राणाराम पुत्र माधोराम 02. खेताराम पुत्र माधोराम 03. भंवरी पुत्री माधोराम 04. गुड्डी पुत्री माधोराम जाति सुथार नि0 सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		01. सोनाराम पुत्र गोमाराम 02. नखताराम पुत्र गोमाराम 03. मांगीलाल पुत्र जोधाराम 04. लूणाराम पुत्र जोधाराम 05. रूपाराम पुत्र जोधाराम 06. छोटा देवी पत्नी गोपाराम 07. देवराज पुत्र गोपाराम 08. जसराज पुत्र गोपाराम 09. महेश पुत्र गोपाराम जाति सुथार निवासी सादा 10. कौशल्या पुत्री गोपाराम पत्नी जसराज जाति सुथार निवासी छायण तह. पोकरण जिला जैसलमेर 11. गोपालसिंह पुत्र हुकमसिंह 12. वीणा भाटी पुत्री मदरूपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर 13. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध [illegible] ित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत [illegible] किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 53—00 बीघा, खसरा नम्बर 155 रकबा 6—06 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:14 IST
Reason: SelfAttested

23.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

भूमि पूर्व में ग्राम टेकरा तथा वर्तमान नया राजस्व ग्राम कालूसिंहनगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में स्थित है जिसको आगे के पदों में **विवादग्रस्त भूमि** के नाम से सम्बोधित किया जाएगा जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विवादग्रस्त भूमि सेटलमेंट तथा सेटलमेंट से पूर्व में ही आधे हिस्से अर्थात खसरा नम्बर 153 में से रकबा 26–10 बीघा व खसरा नम्बर 155 में से रकबा 3–03 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज भीकाराम का तथा आधे हिस्से पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 के पूर्वज उतमाराम का कब्जा काश्त चला आ रहा था उसी अनुसार वक्त सेटलमेंट विवादित भूमि का आधा हिस्सा उतमाराम के परिवार उनके पुत्र गोमाराम जो वर्तमान वाद में अप्रार्थीगण 1, 2 तथा 6 से 10 के पूर्वज व जोधाराम जो वर्तमान वाद में अप्रार्थीगण सं. 3 से 5 के नाम से तथा आधा हिस्सा भीकाराम के पुत्र अर्जुनराम के नाम से पैमाईश होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तथा उसी हिस्से अनुसार पक्षकारों का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण अर्जुनराम के वारिसान होने से विवादित भूमि के आधे हिस्से के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है तथा विवादित भूमि के आधे हिस्से पर ही प्रार्थीगणो का कब्जा काश्त है चला आ रहा है तथा आधे हिससे पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड में आज तक बंटवाड़ा नहीं किया गया है तथा प्रार्थीगणो द्वारा अपने आधे हिस्से में से उपरोक्त वर्णित दोनो खसरा नम्बरान की भूमि में से अपने आधे हिस्से में से रकबा 19–15 बीघा भूमि का बैचान अप्रार्थी सं. 11 को कर दिया तथा अब अपने दोनो खसरान की भूमि में से शेष रही भूमि रकबा 9–17 बीघा भूमि का **बाई मिंट्स एण्ड बाउण्ड्स** बंटवाड़ा करवाना चाहते है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया जाने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। अप्रार्थीगण सं. 3 से 5 द्वारा विवादग्रस्त दोनो खसरान में से दिनांक 11/12/2019 को अपने 1/4 हिस्से में आने वाली भूमि से अधिक हिस्सा का बैचान अप्रार्थी सं. 12 को कर दिया जो बैचान दिनांक 11/12/2019 को प्रार्थीगणों के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुरू से ही शून्य व बेअसर होने से प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 53–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 155 रकबा 6–06 बीघा भूमि ग्राम कालूसिंह नगर में आने हिस्से में से अप्रार्थी सं. 10 को बैचान के बाद शेष बचे रकबे खसरा नम्बर 153 में से 8–16 बीघा तथा खसरा नम्बर 155 रकबा 1–01 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा वर्तमान जमाबंदी में पक्षकारान का अलग–अलग हिस्से खुले हूए नहीं होने से जिससे आगे पक्षकारों के मध्य विवाद बढने की संभावना होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण सं. 3 से 5 द्वारा अप्रार्थी सं. 12 के [illegible] से अधिक किया गया बैचान दिनांक 11/12/2019 से खरीदकर्ता अप्रार्थी सं. 12 को [illegible] खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होने से बैचान दिनांक 11/12/2019 तथा इस बैचान के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण प्रार्थीगणों के खातेदारी हितों के विरूद्ध शुरू से शून्य व निष्प्रभावी होने से अप्रार्थी सं. 12 को प्रार्थीगणों के हिस्से की भूमि पर किसी भी तरह के खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होने से अप्रार्थी सं. 12 के पक्ष में बैचान दिनांक 11/12/2019 के आधार पर अप्रार्थी सं. 12 के पक्ष में भरा गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:14 IST
Reason: SelfAttested

A 23.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नामान्तरकरण प्रार्थीगणों के हिस्से तक निरस्त किया जावे। वक्त सेटलमेंट के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार तथा प्रार्थीगणों के पूर्वजों का निधन हो जाने से उनको प्राप्त खातेदारी अधिकार उपरोतर रूप से प्रार्थीगणों को हासिल होने से खसरा नम्बर 153 रकबा 53–00 बीघा में से बैचान के बाद शेष रकबा 8–16 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 155 कुल रकबा 6–06 बीघा में से बैचान के बाद शेष रकबा 1–01 बीघा दोनो खसरान का कुल रकबा 9–17 बीघा ग्राम कालूसिंह नगर की भूमि का प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार होने से तथा अप्रार्थीगण सं. 3 से 5 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान कर देने से प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने तथा **बाई मिंट्स एण्ड बाउण्ड्स** बंटवाड़ा प्राप्त करने के अधिकारी होने से प्रार्थीगण अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम टेकरा पटवार हल्का टेकरा के खाता संख्या 97 सम्वत् 2073–76 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारों के [illegible] के प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण का अधिकार है यद्यपि प्रत्येक के पास [illegible] भूमि [illegible] कौनसा विशिष्ट भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के अभिलिखित काश्तकार होने के कारण अपने हक [illegible] आराजी के उपयोग का अधिकार है।

23.10.24
कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का सन्तुलन

सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि आदेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तादादी भूमि के अभिलिखित सहखातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग, बैंक ऋण और हक व हिस्से की हस्तक बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188,212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई आदेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.01.2020 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखवाया जाकर [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिण्डेल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)